

उपखण्ड अधिकारी छबड़ा जिला बारां (राज)


क्रमांक : 274/25

दिनांक 3.10.25

- :: निर्णय :: -

प्रार्थी श्री जेमा पुत्र/पुत्री/पति नेना ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम मदनखेड़ी पटवार मण्डल पाली ताहसील छबड़ा जिला बारां की चालू जमाबंदी सम्वत् 2075 के खाता संख्या 101, 187 में खातेदार/गैरखातेदार का नाम/जाति पेमा पुत्र नेना अंकित है जो सम्मानजनक 194/138 नहीं है। जिसे सम्मानजनक रूप से जेमा पुत्र नेना अंकित किया जावे। प्रार्थी के आवेदन पत्र की जांच पटवारी पाली से करवाने पर पटवारी ने पेमा के बजाय जेमा करना उचित बताया। ताहसीलदार छबड़ा ने भी उक्त खाते में पेमा के बजाय जेमा करना उचित बताया।

अतः पटवारी एवं ताहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 एवं नियम 369 राजस्थान भूराजस्व (भू अभिलेख) नियम 1957 के अन्तर्गत ग्राम मदनखेड़ी के खाता संख्या 101, 187, 194 में खातेदार/गैरखातेदार का नाम/जाति पेमा के स्थान पर सम्मानजनक रूप से जेमा उर्फ पेमा दर्ज कराने का आदेश दिया जाता है। ताहसीलदार छबड़ा तदनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती करें।


उपखण्ड अधिकारी
(Land Record Officer)
छबड़ा जिला बारां
उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)